



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

19 जनवरी 2023

**बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश –  
श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.558/13-03-225/2022-23 द्वारा श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को जारी 15 जुलाई 2022 के निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमिता, मस्की, कर्नाटक को जारी दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.558/13-03-225/2022-23, अब बैंक पर 19 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए और लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भित निदेश के समय- समय पर यथा संशोधित अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1576

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक